

राजस्थान सरकार
निदेशालय, खान एवं भू-विज्ञान विभाग, राजस्थान, उदयपुर

खनिज भवन, शास्त्री सर्कल, उदयपुर। दूरभाष: 0294-42415092(253)

Web: www.mines.rajasthan.gov.in

Email: estt.uda.mg@rajasthan.gov.in

क्रमांक: निदे/नियु-7/प.स्ट्रेन्थ/च.श्रे.क./2024 (ई-08955)

दिनांक: यथा ई-हस्ताक्षर

—:: आदेश ::—

राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर द्वारा आयोजित चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सीधी भर्ती परीक्षा, 2024 की प्रतियोगी परीक्षा में सफल घोषित होने के फलस्वरूप प्रशासनिक सुधार (अनुभाग-3) विभाग, जयपुर के पत्र क्रमांक: प.3(1)प्र.सु./अनु.-3/2024-07601 राजकाज रेफ. 23994566 दिनांक 12.08.2026 के द्वारा खान एवं भू विज्ञान विभाग को गैर अनुसूचित क्षेत्र के आवंटित निम्नलिखित अभ्यर्थियों को राजस्थान चतुर्थ श्रेणी सेवा (भर्ती एवं सेवा की अन्य शर्तें) नियम, 1999 के अन्तर्गत अस्थाई आधार पर **चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी** के पद पर कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 20.01.2006 एवं वित्त (नियम) विभाग की अधिसूचना क्रमांक प.15(1)वित्त/नियम/2017 दिनांक 30.10.2017 के अनुसार 02 वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी के रूप में नियत पारिश्रमिक रुपये 12,600/- प्रतिमाह, तत्पश्चात् परिवीक्षाकाल संतोषजनक रूप से पूर्ण करने उपरांत पे-मैट्रिक्स लेवल-2 में अधोलिखित शर्तों के अध्याधीन एतद्द्वारा नियुक्ति प्रदान की जाती है:-

S. N.	RANK	ROLL NO	NAME	FATHER'S NAME	DOB	GEN.	CAT	H_ CAT	SEL_ CAT	ALLOTTED POSTING OFFICE	PHOTO
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	83006	1903114	PANKAJ KUMAR	ASHOK KUMAR	16-06-1997	M	GEN	LDCP	GEN	ME, BHARATPUR	
2.	275406	1190467	MUKESH JANGIR	NANAKRAM	11-11-2005	M	OBC	BLV	OBC	ADM, BIKANER	
3.	298190	2017818	GULSHAN KUMAR KHATRI	DEVI DAYAL KHATRI	14-10-1984	M	EWS	AIMD	EWS	ADM, BIKANER	
4.	399659	2521274	LEENA SAIN	CHANDRA PRAKASH SAIN	24-04-1991	F	OBC	WID	GEN	AME, SAWAI MADHOPUR	
5.	430728	1386045	ABHA THANVI	SHIV KUMAR HARSH	15-06-1980	F	EWS	WID	GEN	ADG, BIKANER	
6.	442071	3416315	UMA SWAMI	MADAN LAL SWAMI	20-08-1989	F	OBC	WID	GEN	AME, NEEMKATHANA	
7.	709919	2153387	GOPAL CHHIPA	NAND KISHOR CHHIPA	11-05-2007	M	OBC	HI	OBC	ADM, JAIPUR	

RajKaj Ref No.:
24919307



Digitally signed by
MAHAVEER PRASAD
MEENA
Designation: Director
Date: 2026-10-08 07:59:46
IST

8.	792896	3419243	UMA KANWAR CHARAN	BHANWAR SINGH	01-08-1984	F	OBC	WID	OBC	ME, NAGPUR	
9.	794142	2039566	SHAKUNTALA	BANWARI LAL	14-06-1985	F	OBC	WID	OBC	AME(V), NEEMKATHANA	
10.	801719	3179607	USHA GWALA	GHANSHYAM	15-07-1983	F	OBC	WID	OBC	AME, JAITARAN	
11.	807833	1514692	SANGEETA KANWAR	KAN SINGH RATHORE	30-07-1994	F	EWS	WID	EWS	SUP.GEO, AJMER	
12.	810802	2650119	BALA DEVI	SOHAN LAL JAKHAR	10-10-1996	F	OBC	WID	OBC	AME, GANGAPUR	
13.	811043	2284530	POOJA KULDEEP	RAMSAHAY KULDEEP	13-03-1989	F	SC	WID	SC	AME, KOTPUTLI	
14.	818040	1878536	ASHA KHARIWAL	NOJI RAM KHARIWAL	25-08-1991	F	OBC	WID	OBC	SUP.GEO (REGION), UDAIPUR	
15.	818912	1699973	KANCHAN CHOUDHARY	ISHWAR JAT	01-07-1998	F	OBC	WID	OBC	MECH.ENGG. (WORKSHOP), UDAIPUR	
16.	819971	2257447	KIRAN HADA	TEJ SINGH HADA	24-03-1988	F	EWS	WID	EWS	ME, RAJSAMAND-I	
17.	918414	1366968	MAHENDRA KUMAR	UKA RAM	08-10-2003	M	SC	HI	SC	SG, BARMER	
18.	1138208	3151130	LALITA MEENA	GOVARDHAN MEENA	25-10-2000	F	ST	WID	ST	ME.KARALI	

उक्त नियुक्तियां निम्नलिखित शर्तों के अधीन दी जा रही है:-

- आदेश जारी होने की दिनांक से 15 दिवस के अन्दर पदस्थापन कार्यालय में कार्यग्रहण करना होगा। किसी कारणवश 15 दिवस में उक्त पद का कार्यग्रहण करने में असमर्थ हो, तो पूर्ण विवरण के साथ कारण स्पष्ट करते हुए अद्योहस्ताक्षरकर्ता को सूचित कर स्वीकृति प्राप्त करेंगे। निर्धारित अवधि में कार्यग्रहण नहीं करने अथवा कोई सूचना प्राप्त नहीं होने की स्थिति में नियुक्ति निरस्त करने की कार्यवाही की जावेगी।



2. उपर्युक्त अभ्यर्थियों की जन्म तिथि वही है, जो इन्होंने परीक्षा के आवेदन पत्र में अंकित की है और जिसे राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर द्वारा सम्यक सत्यापन के पश्चात स्वीकार किया गया है। उक्त आधार पर अंकित की गई जन्म तिथि अपरिवर्तनीय होगी।
3. उक्त नियुक्तियां सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के परिपत्र एफ.11/एसटी/एससी ओबीसी एसबीसी/जा.प्र.प./सामान्यअवि/2015/54159 दिनांक 09.09.2015, पत्रांक 63606-726 दिनांक 20.10.2015 एवं प.11(204)आरएण्डपी/डीडीबीसी/सान्याअवि/2011/68999-69032 जयपुर दिनांक 11.11.2016 में वर्णित दिशा-निर्देशों/सत्यापन के अध्यक्षीन पूर्णतया अस्थाई रूप से रहेगी।
4. परीवीक्षा काल (Probation Period) में इन्हें कोई वार्षिक वेतनवृद्धि देय नहीं होगी।
5. यदि अभ्यर्थी का कार्य एवं आचरण परीवीक्षा अवधि में कभी भी अथवा परीवीक्षाकाल की समाप्ति पर संतोषप्रद नहीं पाया गया तो उन्हें बिना किसी क्षतिपूर्ति के किसी भी समय सेवा से विमुक्त किया जा सकेगा।
6. परीवीक्षा प्रशिक्षण अवधि में अन्य सुविधा या अवकाश आदि राजस्थान सेवा नियमों में प्रचलित/संशोधित प्रावधानों के अनुसार देय होंगे।
7. उक्त नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों/परिपत्रों के अन्तर्गत शामिल होंगी एवं समय-समय पर जारी किये गये निर्देश/परिपत्र लागू होंगे।
8. उक्त नियुक्तियों पर राज्य सरकार द्वारा जारी नियमानुसार पेंशन योजना के प्रावधान लागू होंगे एवं अन्य आदेश जो राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए हो, उनके अधीन ही सेवा एवं सेवालाभ देय होंगे।
9. जो अभ्यर्थी पूर्व से ही राजकीय सेवा (केन्द्रीय/राज्य/बोर्ड/निगम/स्वायत्तशासी संस्थान/सार्वजनिक उपक्रम इत्यादि) में कार्यरत है, उन्हें चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद पर कार्यग्रहण के समय पूर्व नियोजक के द्वारा उचित माध्यम (Through Proper Channel) से कार्यमुक्त किये जाने/त्यागपत्र स्वीकृत किए जाने का आदेश, अनापत्ति प्रमाण-पत्र एवं गत वेतन भुगतान प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही राज्य सरकार द्वारा जारी विद्यमान प्रावधानों के अन्तर्गत नियमानुसार वेतन, भत्ते देय होंगे। ऐसे अभ्यर्थियों को निर्देशित किया जाता है कि वे पूर्व नियोजक द्वारा नियमानुसार जारी कार्यमुक्ति/त्याग पत्र स्वीकृति आदेश के साथ ही आवंटित पदस्थापन कार्यालय में कार्यग्रहण हेतु उपस्थित हों, कार्यमुक्ति/त्यागपत्र स्वीकृति का आदेश साथ में नहीं होने पर कार्यग्रहण करवाया जाना संभव नहीं होगा। यदि इस नियुक्ति आदेश के जारी होने की दिनांक के 15 दिवस में पूर्व कार्यरत विभाग से कार्यमुक्ति/त्याग पत्र स्वीकृति आदेश प्राप्त नहीं होता है, तो कार्यग्रहण काल में नियमानुसार अभिवृद्धि हेतु, 15 दिवस समाप्ति के 05 दिवस पूर्व प्रार्थना-पत्र निदेशालय को भिजवावे।
10. कार्मिक (क-2) विभाग के परिपत्र क्रमांक प.1(5)डीओपी/ए-2/17 दिनांक 15.05.2018 की अनुपालना में संबंधित अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत अटैस्टेशन फार्म एवं स्व-घोषणा के आधार पर यह अस्थाई नियुक्ति दी जा रही है। पुलिस विभाग द्वारा प्रेषित चरित्र सत्यापन रिपोर्ट में कोई भी विपरीत तथ्य पाये जाने पर चयनित अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता निरस्त करते हुए उनका चयन निरस्त किये जाने का विभाग को अधिकार होगा।
11. परीवीक्षाधीन प्रशिक्षण अवधि के दौरान वित्त (नियम) विभाग की अधिसूचना संख्या एफ0 12(6)एफडी/रूल्स/05 दिनांक 13.03.2006, 6(6)एफडी/रूल्स/2005 दिनांक 13.03.2006, 1(2)एफडी/रूल्स/2006 दिनांक 13.03.2006, 13(1)एफडी/रूल्स/2003 दिनांक 13.03.2006 एवं राजस्थान सिविल सेवा (संशोधित वेतनमान) नियम, 2008 दिनांक 30.10.2017 के अन्तर्गत नियत पारिश्रमिक (Fixed Remuneration) के हकदार होंगे, इसके अतिरिक्त अन्य भत्ते यथा-मकान किराया भत्ता, मंहगाई भत्ता, शहरी क्षतिपूर्ति भत्ता, विशेष वेतन इत्यादि देय नहीं होंगे। यह पारिश्रमिक माननीय उच्च न्यायालय की खण्डपीठ में हुए निर्णय के विरुद्ध माननीय सर्वोच्च न्यायालय में की गई एस.एल.पी. 25565/2015 राजस्थान राज्य बनाम गोपाल कुमावत के निर्णय के अध्यक्षीन होगा।
12. अभ्यर्थियों की नियुक्ति तिथि कार्यग्रहण करने की तिथि से ही मान्य होगी।
13. राज्य में अवस्थित बोर्ड/विश्वविद्यालय/संस्थान एवं राज्य के बाहर के बोर्ड/विश्वविद्यालय/संस्थान द्वारा जारी शैक्षणिक दस्तावेजों के प्रमाणीकरण हेतु अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत/उल्लेखित शैक्षणिक दस्तावेजों एवं अन्य आवश्यक प्रमाण-पत्रों की संबंधित बोर्ड/विश्वविद्यालयों/संस्थानों से जांच रिपोर्ट प्राप्त होने/सही संदर्भित होने के क्रम में उक्त नियुक्तियां प्रोविजनल रहेगी। जांच रिपोर्ट में कोई विपरीत तथ्य/मिथ्या सूचना पाये जाने पर नियुक्ति निरस्त किए जाने के अध्यक्षीन रहेगी।
14. उक्त नियुक्ति माननीय न्यायालयों में विचाराधीन विभिन्न याचिकाओं में पारित होने वाले अंतिम निर्णयों के अध्यक्षीन रहेगी।
15. यदि किसी भी अभ्यर्थी के दस्तावेजों में जांच उपरान्त दस्तावेज बोगस/फर्जी/मिथ्या पाये जाते हैं, तो कार्यग्रहण के उपरांत भी ऐसे अभ्यर्थियों के विरुद्ध विधिक कार्यवाही कर उनकी सेवाएं तत्काल समाप्त



- कर दी जावेगी। साथ ही ऐसे अभ्यर्थियों के विरुद्ध भविष्य में आयोजित होने वाली परीक्षाओं से डिबार किए जाने के संबंध में आवश्यक कार्यवाही अमल में लायी जावेगी।
16. अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्रों/घोषणा पत्रों में मिथ्या सूचना पाये जाने पर अभ्यर्थी के सेवाकाल के दौरान कभी भी नियुक्ति निरस्त किये जाने की नियमानुसार विधिक/अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।
 17. दिनांक 01.06.2002 को अथवा उसके पश्चात 02 से अधिक संतान होने की स्थिति में उपर्युक्त अभ्यर्थी नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होंगे। कार्यग्रहण के समय संतान संबंधित शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।
 18. उपर्युक्त अभ्यर्थियों की वरिष्ठता चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सीधी भर्ती परीक्षा, 2024 में विभाग को आवंटित सूची के अनुसार योग्यता क्रम में अवधारित होगी अर्थात् उक्त सूची में अंकित अभ्यर्थियों में से किसी अभ्यर्थी द्वारा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद पर अपने से वरिष्ठ/कनिष्ठ अभ्यर्थी से पूर्व अथवा पश्चात् कार्यग्रहण किए जाने की स्थिति में वरिष्ठता क्रम अप्रभावित रहेगी।
 19. अभ्यर्थियों द्वारा कार्यग्रहण के समय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा जारी स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र, पुलिस विभाग से चरित्र सत्यापन का प्रमाण-पत्र **(नियुक्ति आदेश जारी होने की दिनांक अथवा के पश्चात जारी किया गया हो)** एवं दो चरित्र प्रमाण-पत्र जो अलग-अलग राजपत्रित अधिकारियों द्वारा जारी किए हुए हों, प्रस्तुत किए जावेंगे।
 20. अभ्यर्थी को कार्यग्रहण करने हेतु किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

(एम.पी. मीणा)
निदेशक
खान एवं भू विज्ञान विभाग,
राजस्थान, उदयपुर

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. सचिव, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर को प्रेषित कर निवेदन है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड कराने का श्रम करावें।
2. शासन उप सचिव, खान एवं पेट्रोलियम विभाग, जयपुर।
3. शासन उप सचिव, प्रशासनिक सुधार (अनुभाग-3) विभाग, जयपुर।
4. वरिष्ठ निजी सचिव (निदेशक/अ.नि.प्र.), निदेशालय, उदयपुर।
5. अतिरिक्त निदेशक (आई.टी.), निदेशालय, उदयपुर को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
6. समस्त संबंधित नियंत्रण अधिकारी खान एवं भूविज्ञान विभाग, राजस्थान।
7. स्ट्रेन्थ लिपिक/बजट अनुभाग/बिल लिपिक/एसीआर सेल, निदेशालय, उदयपुर।
8. संबंधित अभ्यर्थी।
9. रक्षित पत्रावली।

निदेशक

